Date of Order or Proceeding	Order or Proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleadera where necessary
12.11.2022	राज्य द्वारा अभियुक्तगण **सहदेव यादव, मंगल सिंह मरकाम, जयसिंह नेताम एवं द्वारिकाधीश विश्वकर्मा** स्वतः उपस्थित। प्रकरण लोक अदालत में संक्षिप्त विचारण हेतु नियत है। प्रकरण का अवलोकन किया गया। प्रकरण का अवलोकन किया गया। अवलोकन से अभियुक्तगण **सहदेव यादव, मंगल सिंह मरकाम, जयसिंह नेताम एवं द्वारिकाधीश विश्वकर्मा** द्वारा **सार्वजनिक जुआ एक्ट की धारा 13** के अंतर्गत अपराध कारित किया जाना अपराध प्रकट होने पर अपराध की विशिष्टियां तैयार कर अभियुक्तगण को पढकर सुनाये जाने पर उन्होंने अपराध कारित करना स्वीकार किया है। अभियुक्तगण द्वारा उपर वर्णित अपराधों को कारित किया जाना स्वीकार किया गया है। अभियुक्तगण की स्वीकारोक्ति के आधार पर अभियुक्तगण द्वारा उपर लिखित अपराध करना सिद्ध पाया जाता है। अतः **//आज्ञा//** अभियुक्तगण **सहदेव यादव, मंगल सिंह मरकाम, जयसिंह नेताम एवं द्वारिकाधीश विश्वकर्मा** को सार्वजनिक जुआ एक्ट की धारा 13 के अंतर्गत अपराध के संबंध में स्वीकारोक्ति के आधार पर दोषसिद्ध किया जा कर उक्त अपराध हेतु प्रत्येक अभियुक्त को 100–100/– रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है, एवं न्यायालय उठने तक की सजा से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड की राशि अदा न करने पर अभियुक्तगण को उक्त अपराध हेतु 01–01 दिवस की साधारण कारावास की सजा भुगतायी जावे। प्रकरण मे जब्तशुदा संपत्ति 52 पत्ती ताश को अपील अवधि समाप्ति पश्चात् नष्ट किया जावे तथा 3180/– रूपये नगद राशि को शासन के पक्ष में राजसात किया जावे अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार जब्तशुदा संपत्ति का व्ययन किया जावे। प्रकरण समाप्त। प्रकरण का परिणाम दर्ज कर पत्रावली सुव्यवस्थित कर नियत समयावधि में अभिलेखागार में जमा हो। अस्पष्ट/सही (श्रीमती छाया सिंह)	

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट गरियाबंद

पुनश्च,

अभियुक्तगण ने अर्थदण्ड की राशि .... रूपये अदा किया। उन्हें रसीद क्रमांक .... प्रदान किया गया।

प्रकरण दाखिल दफतार हो।

अस्पष्ट/सही
(श्रीमती छाया सिंह)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट गरियाबंद